

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/

दिनांक

अनवान :-

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण
बांका के का.मु. वगैरा बनाम चिमाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 67/2018

दिनांक : 03.10.2023

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी के मौजा भीलों का तला के खेत खसरा सं. 1023 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 1024 रकबा 88.04 बीघा एवं मौजा नेहरों की नाडी के खसरा सं. 695 रकबा 84.02 बीघा, खसरा सं. 1022 रकबा 03.01 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है आपको कमिशनर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि की नेखमबंदी / पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार वादग्रस्त भूमि की पैमाइश / सीमाज्ञान हेतु आप अपने स्तर पर टीम का गठन कर समस्त हितबद्ध पक्षकारान / काश्तकार की उपस्थिति मे पुनः नियमानुसार पैमाइश / सीमाज्ञान की कार्यवाही करवाने के पश्चात पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करावे। पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/2199 to 2202

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण बांका के का.मु. वगैरा
3. विप्रार्थीगण चिमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 03/10/2023



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन